डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब./167/2025
दिनांक 14/07/2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

विषयः—महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रत्यावेदन / पत्रावली व्यवहारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रायः देखने में आ रहा है कि आपके द्वारा विश्वविद्यालय में अपने महाविद्यालय की प्रत्यावेदन / पत्रावली को व्यवहारित करने के लिये विश्वविद्यालय में प्रेषित करते समय प्रत्यावेदन / पत्रावली पर पत्रांक संख्या एवं दिनांक तथा कालेज कोड़ अंकित नही किया जाता है, तथा प्रार्थना पत्र / प्रत्यावेदन बिना पत्रावली के ही जमा किया जाता है जो कि नियमानुसार गलत है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय से सम्बन्धित विश्वविद्यालय में प्रेषित किये जाने वाले प्रत्यावेदन / पत्रावली पर पत्रांक संख्या, दिनांक एवं कालेज कोड़ अंकित किया जाना अनिवार्य है, अगर महाविद्यालय द्वारा पत्रांक संख्या / दिनांक / कालेज कोड़ अंकित किये बिना पत्राचार किया जाता है तो ऐसे प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेत्तर कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

उक्त साथ—साथ महाविद्यालय लेटर—हेड पर विश्वविद्यालय का नाम डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (NAAC A+) अंकित किया जाना अनिवार्य है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—
1. प्रभारी—कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधीक्षक—कुलसचिव कार्यालय।
3. बेवसाइट प्रभारी / अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को आज ही महाविद्यालयों की लोगिन एवं विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett